कार्यालय,जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) रामबाग,मुजफ्फरपुर

E mail:- dietrambagh.muz@gmail.com दूरभाष न0/फैक्स न0 – 0621–2282992
Website:-www.dietrambagh.in

कार्यालय आदेश

विभागीय निदेशानुसार सत्र–2020–22 के लिए **प्रथम चयन सूची** विषयवार/कोटिवार संस्थान के वेबसाईट पर प्रकाशित है, कि हार्ड प्रति भी कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित है, के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि काउन्सिलिंग/नामांकन प्रथम चयन सूची से काउन्सिलिंग/नामांकन दिनांक–01.02.2021 से 02.02.2021 तक, समय–10:30 बजे पूर्वाहन से 4:30 बजे अपराहन तक प्रस्तावित/निर्धारित है। काउन्सिलिंग/नामांकन में निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ लाना अनिवार्य होगा।

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
2. ऑनलाईन आवेदित सभी प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों की मूलप्रति।
3. अंतिम अध्ययनरत संस्थान का **विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र** की मूल प्रति।
4. सक्षम प्राधिकार/अंतिम अध्ययनरत संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र/आचरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति।
5. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मूलप्रति।
6. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की मूलप्रति।
7. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए EWS प्रमाण पत्र पत्र की मूलप्रति।
8. फोटोयुक्त परिचय पत्र यथा आधार कार्ड/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की मूलप्रति।
9. सक्षम प्राधिकार (चिकित्सा बोर्ड) द्वारा निर्गत निःशक्ता प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
10. सक्षम प्राधिकार/असैनिक शल्य चिकित्सक सहः मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
11. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र कि–"सभी प्रमाण पत्र सही है। मेरे विरूद्ध किसी थाना अथवा न्यायलय में कोई मामला दर्ज अथवा विचाराधीन नहीं है अभ्यर्थी का आचरण प्रतिकूल नहीं हैं। संस्थान द्वारा निर्गत/प्राप्त आदेशों का पालन करूँगा/करूँगीं, स्वछता,दहेज,बाल विवाह, नशा मुक्ति के नियमों का पालन करूँगा/करूँगीं समर्पित करना अनिवार्य होगा। अन्यथा कि स्थिति में **नामांकन रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी** के पास सुरक्षित रहेगा।"
12. अभ्यर्थी का अद्यतन हस्ताक्षरित छायाचित्र (फोटो) 05 प्रति।

नोट–1. काउन्सिलिंग/नामांकन हेतु निर्धारित तिथि को **अभ्यर्थी की उपस्थिति नहीं होने पर** भविष्य में नामांकन का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा ।

2. विभागीय निदेशानुसार सत्र–2020–22 के लिए काउन्सिलिंग/नामांकन के लिए चयनित आवेदकों में से काउन्सिलिंग/नामांकन के पश्चात् संस्थान के स्तर पर समीक्षोपरान्त औपबंधिक चयनित नामांकन सूची संस्थान के वेबसाईट पर प्रकाशित किये जाने के फलस्वरूप नामांकन शुल्क की राशि सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ग्यारह हजार पाँच सौ रू0 (11500/–) एवं अनु0 जा0/अनु0 जन0 जा0/दिव्यांग के लिए सात हजार रू0 (7000/–) की राशि बैंक ऑफ बड़ौदा, मेहदी हसन चॉक शाखा, मुजफ्फरपुर कें खाता संख्या–46340100005899, IFSC CODE-BARB0BRAHAM में ऑनलाईन/ऑफलाइन जमा कर उसकी प्राप्ति रसीद/ड्राफ्ट जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

3. नामांकन की सभी प्रक्रिया पूर्ण किये जाने/होने के पश्चात् नामांकन रसीद संस्थान द्वारा निर्गत किया जाएगा।

4. उपर्युक्त अंकित सभी प्रमाण पत्रों की मूलप्रति 01 (एक) Folder File में तथा मूल प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ 02 (दो) Folder File में लाना अनिवार्य होगा, जिसमें से एक पर **कार्यालय प्रति** एवं दूसरे पर **सत्यापन प्रति** लिखा हो।

5. सत्र–2020–22 के लिए सभी आवेदित/चयनित अभ्यर्थी प्रतिदिन निरंतर संस्थान के वेबसाईट/संस्थान के सूचना पट्ट/ई–मेल एवं SMS का अवलोकन करते रहेंगे। अन्यथा सूचना से अवगत नहीं होने की सारी जबावदेही चयनित अभ्यर्थियों की होगी, के क्रम में मानवीय/लिपिकीय/तकनीकी त्रुटि के लिए संस्थान जिम्मेवार नहीं होगा।

विभाग द्वारा अन्यथा प्रतिकूल आदेश प्राप्त होने पर यह आदेश स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

Pankaj Kumar M.K. Pandey 28.01.21 27.01.2021

(विनोद कुमार शर्मा)
प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(डायट) रामबाग,मुजफ्फरपुर।